



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 604 राँची, बुधवार,

18 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 जुलाई, 2024

संख्या-4/स्था०-801/2024 का० 4809--दिनांक-23.07.2024 को संपन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित विभाग/ कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित विभाग/ कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	
1.	श्री वेद प्रकाश किशोर, प्रशाखा पदाधिकारी	जल संसाधन विभाग	उद्योग निदेशालय	
2.	श्री ज्ञानेन्द्र यादव, प्रशाखा पदाधिकारी	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	पंचायती राज विभाग	

3.	श्री कुमार आशीष, प्रशाखा पदाधिकारी	पंचायती राज विभाग	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	
4.	श्री राजेश गुप्ता, प्रशाखा पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा	आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
5.	श्री राजीव रंजन तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी	आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर	प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा	
6.	श्री उदय कृष्ण परिहस्त, प्रशाखा पदाधिकारी (गृह जिला देवघर)	कृषि निदेशालय	प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना, दुमका	

2. श्री परिहस्त का स्थानांतरण उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। अतः वित्त विभागीय संकल्प सं०-737/वि०, दिनांक- 27.03.2018 के आलोक में श्री परिहस्त को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त पदाधिकारियों को नव पदस्थापित विभाग/कार्यालय में दिनांक-05.08.2024 तक प्रभार त्याग/ग्रहण कराना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-4800 दिनांक-29.07.2022 की कंडिका-v उपर्युक्त पदाधिकारियों पर यथावत लागू रहेंगी।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
